आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राज्य में संचालित शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को सत्र 2020–21 के लिए
B.P.Ed.(2 year) Course हेतु नवीनीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सूची

S.No.	District	Institute Name	Total Seats
1.	Jodhpur	राज. शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर	120 (सेवारत–30)
2.	Jaipur	देवीदत्त डालमिया शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जामडोली, जयपुर	100
3	Udaipur	राणा प्रताप शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भिण्डर, उदयपुर	100 (20 माडा, 20 टाडा)
4	Ajmer	सनातम धर्म शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, केकडी, अजमेर	100
5	Kauroli	आर्दश शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सूरोठ, करौली	100
6	Bikaner	द्वारका शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नालबडी, बीकानेर	100
7	Baran	भारत माता शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, किशनगंज, बांरा	100
8	Bhilwara	नारायणी देवी वर्मा महिला आश्रम शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भीलवाडा	100
9	Udaipur	कृष्णा शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मावली, उदयपुर	50
10	Ajmer	दयानन्द शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर	50
11	Shri Ganganagar	टांटिया यूनिर्वसिटी, दयानन्द शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर	100
12	Chittorgarh	श्री नाथ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बड़ी सादड़ी, विनायक रोड़,चित्तौड़गढ़	100
13	Udaipur	पेसिफिक कॉलेज ऑफ फिजिकल एजूकेशन,पेसिफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड़, देबारी, गिरवा, उदयपुर	100
14	Jaipur	डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजूकेशन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	50
15	Jaipur	श्री भवानी निकेतन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, सीकर रोड़, जयपुर	100
16	Jaipur	बियानी इन्स्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजूकेशन, ग्राम–कालवाड़, जोबनेर रोड, जिला–जयपुर–303706	100

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः—एफ24(NOC20-21)/बी.एड./आकाशि/2020/144 दिनांकः—30.03.2020

आदेश

निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा **बी.पी.एड.(2 वर्षीय) एम.पी.एड.(2 वर्षीय), बी.एड.—एम.एड.(3 वर्षीय एकीकृत), एम.एड.(2 वर्षीय)** पाठ्यक्रम के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त शिक्षण—प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को **सत्र 2020—21 के लिए** काउंसलिंग के माध्यम से प्रेषित सूची में अंकित शिक्षण—प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अग्रांकित शर्तों के अधीन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्द्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक 2020, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के माध्यम से प्रवेश पूर्व परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा समुचित योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जायेगी।
5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन /सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षण—प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव,शासन सचिव,उच्च शिक्षा, विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त,कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।
4. संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप—4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
5. समन्वयक, बी.पी.एड.(2 वर्षीय), एवं एम.पी.एड. (2 वर्षीय), बी.एड.—एम.एड.(3 वर्षीय एकीकृत), एम.एड.(2 वर्षीय) राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सभी शिक्षण—प्रशिक्षण संस्थाओं को काउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें।
6. रजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालयों को भेजकर लेख कि संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एनसीटीई के मान्यता पत्र की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
7. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय, जी—7, सेक्टर—10, द्वारका, नई दिल्ली—110075।
8. परियोजना अधिकारी,राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार/ सचिव/ प्राचार्य, सभी शिक्षण—प्रशिक्षण महाविद्यालय/विश्वविद्यालय।
10. प्रभारी वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर